न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या: – 190 / 2018 प्रार्थना पत्र

GCMS No. – 2018 / 00578

1. विष्णु पिता राधेश्याम जी जाति बलाई आयु 17 वर्ष नाबालिग जरिये वली सरपरस्त पिता राधेश्याम पिता रामलालजी जाति बलाई आयु 55 वर्ष निवासी बाडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

2. सोनु पिता राधेश्याम जी जाति बलाई आयु 14 वर्ष नाबालिग जरिये वली सरपरस्त पिता राधेश्याम पिता रामलालजी जाति बलाई आयु 55 वर्ष निवासी बाडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहनलाल पिता प्याचन्द जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी बाडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

2. अमरचन्द पिता प्याचन्द जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी बाडी 2 तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :–1–श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया – अधिवक्ता प्राथीगण

2–श्री माणक चपलोत –अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 2

:: निर्णय ::

दिनांक :– 01.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त स्वामित्व की जरिये पंजीकृत कय शुदा स्वामित्व अधिपत्य की आराजियात वाके मौजा बाडी प०ह० बाडी तह० निम्बाहेडा की खाता नं0 6 की आराजी नं0 532 रकबा 1.2000 हेक्टेयर लगानी 22 रुपये 80 पैसा, आराजी नं0 845 रकबा 0.2000 हेक्टेयर लगानी 1 रुपये इसी प्रकार खाता नं० 8 की आराजी नं० 515 रकबा 1.2400 हे0 लगानी 23 रुपये 56 पैसा स्थित हैं। साक्ष्य में नकल जमाबंदीयां पेश है।

2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण ने विपक्षी नं0 1 मोहनलाल पिता प्यारचन्द बलाई निवासी बाडी से आराजी नं0 532, 845, 515 मौजा बाडी पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04 / 07 / 2017 पंजीकृत दिनांक 04 / 07 / 2017 से पूर्ण प्रतिफल राशि 8,00,000 / रुपये अक्षरे आठ लाख रुपये अदा कर कय की तथा आराजी नं0 532 पर लगी ट्युबवेल पर विपक्षी नं0 1 के हक हिस्से में दर्ज [illegible] हिस्सा ट्युबवेल चलाने का हक हिस्से सहित कय किया तथा कब्जा प्राप्त [illegible] वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थीगण बतौर केता काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। [illegible] साक्ष्य विक्रय पत्र की फोटो प्रति साथ मे पेश हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:28 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थीगण की उक्त कय शुदा आराजियात मे से आराजी नं० 532 में स्थित ट्युबवेल [illegible] विपक्षी नं0 2 द्वारा अपने हक हिस्से में से 1 / 2 हक हिस्सा विक्रय करने के बाद से प्रार्थीगण विपक्षी नं0 2 से कय शुदा आराजी एवं 1 / 2 हिस्सा ट्युबवेल के उपयोग उपभोग बतौर केता मालिक स्वामी बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से करते चले

Scanned by CamScanner

आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजियात पर विपक्षीगण बिना किसी हक अधिकार के नाजायज रुप से कब्जा करने कि नियत से प्रार्थीगण से विवाद करते है तथा प्रार्थीगण को उसकी कय शुदा आराजी एवं 1/2 हिस्सा ट्युबवेल क उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करते है सिंचाई करने में बाधा पैदा करते हैं, प्रार्थीगण को बेदखल करने का नाजायज प्रयास कर रहे है तथा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में जबरन बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा जबरन प्रार्थीगण की कय शुदा खातेदारी की आराजियात में आने जाने एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हैं, तथा प्रार्थीगण एवं गांव के मौतबीरान व्यक्तियों द्वारा समझाने बुझाने पर भी किसी भी सुरत में मानने को तैयार नही है, तथा प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण स्वामित्व व अधिपत्य की आराजियात से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगणो को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते है कि विपक्षीगण प्रार्थीगण के खातेदारी एव स्वामित्व अधिपत्य की भूमि पर प्रार्थीगण के आने जाने, उपयोग उपभोग में जबरन बाधा पैदा नही करे न करावें, तथा प्रार्थीगण की कय शुदा आराजी एवं 1/2 हिस्सा ट्युबवेल के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा न स्वयं करे न किसी अन्य से करावें, तथा प्रार्थीगण उनके हक हिस्से की आराजी की सिंचाई प्रार्थीगण के कय शुदा ट्युबवेल के हक हिस्से अनुसार करने मे तथा उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार से बाधा पैदा नहीं करे न करावें तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करें न. अन्य से करावें। इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी हैं।

4. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम नं0 2 में वर्णित प्रार्थीगण की कय शुदा वादग्रस्त आराजियात पर विपक्षीगण बिना किसी हक अधिकार के नाजायज रुप से कब्जा नहीं करे न करावें, तथा प्रार्थीगण को उसकी कय शुदा आराजी एवं 1/2 हिस्सा ट्युबवेल क उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नहीं करे न करावें प्रार्थीगण को सिंचाई करने में बाधा पैदा नही करे न करावें हैं, प्रार्थीगण को बेदखल करने का नाजायज प्रयास नही करे न करावें, तथा प्रार्थीगण के कय शुदा आराजी व ट्युबवेल पर आने जाने में बाधा पैदा नही करे न करावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।कि प्रार्थना पत्र की कलम न० 1 में वर्णित वाद प्रस्तुत करना स्वीकार है किन्तु वाद असत्य एंव निराधार तथ्यों पर आधारित होने अवश्य ही खारिज होगा।

5. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 बावजुद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से विपक्षी सं0 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया । विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री माणकलाल चपलोत ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदन पत्र की विपक्षी संख्या 2 अमरचन्द के हक हिस्से की आराजी में स्वंय का ट्यबवैल स्वंय के खर्चे से खुदाकर तथा ट्यबवैल मोटर स्वंय ने खरीदी तथा विद्युत कनेक्शन भी उक्त ट्यूबवैल पर विपक्षी न० 2 अमरचन्द के नाम पर होकर स्वंय अमरचन्द उपयोग उपभोग कर रहा है। जिसमें अन्य किसी को दखलअन्दाजी करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। वास्ते साक्ष्य ट्यूबवैल मोटर, बिजली के बिल की प्रतियां साथ में प्रस्तुत है। तथा जब से ट्यूबवैल विपक्षी न0 2 ने अपने स्वंय के खर्चे से लगाई तभी से विद्युत कनेक्शन आज दिनांक तक विपक्षी न0 2 के नाम चला आ रहा है। तथा प्रार्थीगण जबरन बिना किसी कानूनी अधिकार के विपक्षी [illegible] चाहते है जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नही है। तथा [illegible] विपक्षी न० 1 को धोखे में रखकर विक्रय पत्र ट्यूबवैल [illegible] की जानकारी विपक्षी न० 2 को नही है। [illegible] विपक्षी संख्या 2 अमरचन्द ने अपनी हिस्से की आराजी पर स्वयं के खर्चे से ट्यूबवैल व विद्युत मोटर लगवाई व विद्युत कनेक्शन भी विपक्षी न0 2 के नाम पर जब [illegible] ट्यूबवैल लगी है तब से आज दिनांक तक चला आ रहा है जिसमें अन्य किसी को कोई दखलअन्दाजी करने का कानूनी अधिकार नही है। एंव विपक्षी न० 2 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रार्थीगण ने विपक्षी न० 2 की उक्त ट्यबवैल का कभी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उपयोग उपभोग आज तक नही किया है और न ही उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार हैं। प्रार्थीगण जबरन बिना किसी कानूनी अधिकार के न्यायालय हाजा में झूठा एंव असत्य वाद पत्र प्रस्तुत कर व रेकॉर्ड के विपरित न्यायालय से अनुचित सहायता प्राप्त करना चाहते है व विपक्षीगण को नाजायज रूप से परेशान करना चाहते है। इसलिए इस कलम में प्रार्थीगण ने सारे तथ्य मनगंठत एंव रेकॉर्ड के विरूद्ध प्रस्तुत किये है जो खारिज होने योग्य है। एंव प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष सिविल प्रकृति का होने से वाद एंव प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायाधिकार एंव क्षेत्राधिकार से परे है। एंव प्रार्थीगण विपक्षी न० 2 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नही है। इसलिए इस कलम में वर्णित तथ्य गलत होने से स्वीकार नही है। प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया साबित नही है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर विपक्षी न0 2 के पक्ष में है। कारण कि विपक्षी न0 2 अमरचन्द ने अपने हिस्से की आराजी में स्वंय के खर्चे से ट्यूबवैल व मोटर लगवाई व स्वंय के नाम से विद्युत कनेक्शन करवाया जो आज तक विपक्षी न0 2 के नाम पर चला आ रहा है। तथा इसका विद्युत बिल भी विपक्षी न0 2चला आ रहा है। तथा प्रार्थीगण जबरन बिना किसी कानूनी अधिकार के विपक्षी न० 2 की ट्यूबवैल से पिलाई करना चाहते है जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नही है। तथा प्रार्थीगण ने विपक्षी न० 1 को धोखे में रखकर विक्रय पत्र ट्यूबवैल बाबत् कोई गलत तथ्य लिखा लिये हो तो इसकी जानकारी विपक्षी न० 2 को नही है। अमरचन्द जब से ट्यूबवैल लगी है तभी से आज तक जमा कराता चला आ रहा है और यदि विपक्षी न0 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तो विपक्षी को भारी क्षति होगी एंव वह अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगा। इसके विपरित प्रार्थीगण को कोई क्षति होने की संभावना नही है। तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष भी माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार से परे है। विपक्षी न० 1 मोहनलाल विपक्षी न० 2 का सगा भाई होने से स्नेहवश कभी कभी अपने हिस्से की आराजी की पिलाई कर लेता था किन्तु प्रार्थीगण का पिता राधेश्याम चतुर एंव चालाक व्यक्ति है जिसने विक्रय पत्र में ट्यबवैल से पिलाई करने के अधिकार होना गलत रूप से उसे धोखे में रखकर लिखा लिया हो तो उसकी जानकारी विपक्षी न० 2 को नही है। जिसका प्रार्थीगण नाजायज फायदा उठाना चाहते है। इसलिए भी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 2 अमरचन्द की और से प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा सव्यय खारिज फरमाया जावें।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया ।

6. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण उपरान्त हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर [illegible] से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की [illegible] के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानू[illegible]र्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रा[illegible] प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुवि[illegible]प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण [illegible] प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

—:आदेश:—

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner